न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री राहुल जैन, आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री कृष्ण कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री ताराचन्द सोनी, निवासी किवरली व अन्य –1		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 17/2014

दिनांक 8 /02/2023

–: निर्णय :–

वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम किवरली , पटवार हल्का किवरली में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खसरा संख्या 76 की रकबा 05 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। यह कि वादीगण के पूर्वज श्री ताराचन्द पुत्र वना जी सुनार को ग्राम किवरली के पुराने खसरा संख्या 15 की रकबा 25 बीघा भूमि का विधिवत वर्ष 1965–66 में आवंटन किया गया था और उसका मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था तथा आवश्यक शुल्क भी जरिए रसीद लिया गया था। तब से श्री ताराचन्द आवंटित भूमि रकबा 25 बीघा पर बतौर खातेदार काबिज काश्त अपने परिवार वादीगण सहित रहा । श्री ताराचन्द की मृत्यु के पश्चात वादीगण आज भी 25 बीघा भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। ताराचन्द का निधन हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी उसकी पत्नि श्रीमति कंचन देवी , पुत्र कृष्ण कुमार व पुत्रीया पुष्पा देवी , उर्मिला, संगीता व ललीता बनी। यह कि तत्कालीन पटवारी व राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने भूलवश श्री ताराचन्द को आवंटित 25 बीघा भूमि का उसे विधिवत कब्जा दिये जाने के बावजूद म्युटेशन मात्र 10 बीघा 17 बिस्वा का ही दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में श्री ताराचन्द के नाम 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि पुराने मूल खसरा संख्या 15 की अवैध रूप से दर्ज की गई जिसका उन्हे कोई विधिक हक व अधिकार नही था। स्वर्गीय श्री ताराचन्द के नाम उसे आवंटित पुराने खसरा संख्या 15 की 25 बीघा भूमि का म्युटेशन उसके नाम भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना चाहिये था जिसे दुरस्त कराने के वादीगण श्री ताराचन्द के उत्तराधिकारी होने से विधिक अधिकारी हैं। यह कि वर्तमान में वादीगण पूर्व से अपने पूर्वज श्री ताराचन्द के समय से आवंटित 25 बीघा भूमि पर ही काबिज काश्त बतौर खातेदार हैं। यह कि वादीगण राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराकर अपने नाम 5 बीघा के स्थान पर 25 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने के विधिक अधिकारी हैं। यह कि वादीगण को ग्राम किवरली के खसरा संख्या 76 जो कि पुराने खसरा संख्या 15 का नया खसरा नंबर है , कि 25 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाने एवं राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम दर्ज 05 बीघा रकबे के स्थान पर 25 बीघा दर्ज कराकर उसका खातेदार घोषित करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

हमने वाद दर्ज रजिस्टर को प्रतिवादी को सम्मन जारी करें। प्रतिवादी को सम्मन तामिल शुदा प्राप्त होने पर मिसल शामिल किये ग[illegible] जवाब पेश कर कथन किया गया कि वादीगण को पूर्ण जानकारी वर्ष संवत 202[illegible] कि उनके पिताजी को आवंटित भूमि मौजा किवरली के वर्तमान खसरा [illegible] बीघा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है अर्थात संवत् 2029 [illegible] ग्राम किवरली के [illegible] संख्या 76 में ताराचन्द वल्द बन्ना कौम सुनार साकिनदेह गैर [illegible]दार रिकोर्डेड दर्ज है [illegible] 2057 तक लगातार ताराचन्द गैर खातेदार उक्त खसरे व रकबे के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहा है। जमाबंदी संवत् 2058–2061 में नोट कॉलम 11 से 13 में नामांतरकरण संख्या 1074 दिनांक 21.12.2004 द्वारा खसरा संख्या 76 रकबा 5 बीघे की ही खातेदारी दी गई है। यह कि वादीगण द्वारा अपने वाद में मौजा किवरली के पुराने खसरा संख्या 15 रकबा 25 बीघा का वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:33 IST
Reason: SelfAttested

1965–66 में आवंटन होना अभिलिखित किया है, जबकि वक्त सैटलमेंट जमाबंदी संवत् 2029 में ताराचन्द पुत्र वन्ना कौम सुनार के नाम खसरा संख्या 76 रकबा 5 बीघा ही बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है तदोपरांत नामांतरकण दिनांक 11.10.1977 सरपंच किवरली द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके अनुसार भी खसरा संख्या 75 रकबा 5 बीघा ही ताराचन्द वल्द वन्ना सुनार साकिनदेह गैर खातेदार दर्ज किया गया। यह कि रिकॉर्डेड कब्जे व खातेदारी साक्ष्य के अभाव मे सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में कायम नही किया जा सकता है। 5 बीघा खातेदारी भूमि से अधिक भूमि पर वादीगण काश्त करने के विधिक अधिकार नही रखते है।

हमने पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजात एवं लिये गये बयानो का गहनता से अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की सुनी गई बहस पर भी मनन किया तो निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–

1. **आया विवादित कृषि आराजी ख.नं. 15 रकबा 25 बीघा का खातेदार घोषित करने की डिक्री :–**

   यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण ने किसी भी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कराया है ग्राम किवरली के पुराने खसरा संख्या 15 की रकबा 25 बीघा भूमि का वर्ष 1965–66 में वादीगण के पूर्वज श्री ताराचंद पुत्र वना जी सुनार को आवंटन किया गया था। यह वाद बिन्दु वादीगण अपने हक में साबित कराने में असफल रहे है। अतः यह वाद बिन्दु वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. <u>विवादित आराजी पर दखलंनदाजी नही करने की डिक्री ?</u>

   यह वाद बिन्दु साबित करने का भार वादीगण पर था। वाद बिन्दु संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। अतः यह वाद बिन्दु भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. <u>आया विवादित आराजी 76 रकबा 5 बीघा ही विधिवत आवंटन हुई है। शेष जमीन नदी से कट जाने से कमी होने से 5 बीघा का ना.क. भरा गया है, जिससे वादी को 25 बीघा को खातेदारी नही दी जा सकती है। ?</u>

   यह वाद बिन्दु साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वक्त सैटलमेंट जमांबदी संवत् 2029 में ताराचन्द पुत्र वन्ना कौम सुनार के नाम खसरा संख्या 76 रकबा 5 बीघा ही बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है तदोपरांत नामांतरकरण दिनांक 11.10.1977 सरपंच किवरली द्वारा स्वीकृत किया गया , जिसके अनुसार भी खसरा संख्या 75 रकबा 5 बीघा ही ताराचन्द वल्द वन्ना सुनार साकिनदेह गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। विधिक कब्जे के संबंध में कोई रिकोर्डेड साक्ष्या यथा तत्समय की गिरदावरी आदि प्रस्तुत नही की है न ही कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट प्रस्तुत है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि कब्जा 25 बीघा भूमि का सुपुर्द किया हो या रहा हो।
   यह वाद बिन्दु प्रतिवादी अपने हक में साबित कराने में सफल रहे है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के हक में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 से 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। वाद बिन्दु संख्या 3 प्रतिवादीगण के हक में निर्णित किये गये है। वादीगण ने किसी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कराया है कि ग्राम किवरली के पुराने खसरा संख्या 15 की रकबा 25 बीघा भूमि का वर्ष 1965–66 में वादीगण के पूर्वज श्री ताराचंद पुत्र वना जी सुनार को आवंटन किया गया था। अतः दस्तावेजो के अभाव में वादीगण का यह वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/02/2023को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:33 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल जैन) I.A.S.
सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी श्री राहुल जैन, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 17/2014

1. श्री कृष्ण कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री ताराचन्द सोनी, जाति सोनी , निवासी किवरली।
2. श्रीमति कंचन पत्नि स्व. श्री ताराचन्द सोनी, जाति सोनी, निवासी किवरली।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आबूरोड़।

प्रतिवादीगण

दिनांकः– 8 .02.2023

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजीर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई प्रतिवादी पैरोकर मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण ने किसी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कराया है कि ग्राम किवरली के पुराने खसरा संख्या 15 की रकबा 25 बीघा भूमि का वर्ष 1965–66 में वादीगण के पूर्वज श्री ताराचंद पुत्र वना जी सुनार को आवंटन किया गया था। अतः दस्तावेजो के अभाव में वादीगण का यह वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे.....मुतलिक.....बाबत.....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद वगैरह..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... .....को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज दिनांक०8 –02–2023 को जारी की गई है।

(राहुल जैन, आई.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

सहायक कलेक्टर आबूपर्वत (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2023.02.17 12:27:33 IST
Reason: SelfAttested